राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 242वीं बैठक दिनांक 10.06.2020 को 11.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1	श्री भास्कर ए. सावंत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
3.	श्री पवन अरोड़ा	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
3	श्री आर. के. विजयवर्गीय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
4	श्रीमती संचिता बिश्नोई	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री हेमन्त गेरा द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :–

1	श्रीमती रेखा भाष्कर	वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी
2	श्रीमती कश्मी कौर	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
3	श्री के.सी.मीणा	मुख्य अभियंता प्रथम, राज.आवासन मण्डल
4	श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियंता द्वितीय, राज.आवासन मण्डल
5	श्री लेखराज जाग्रत	निदेशक (विधि), राज॰आवा॰मण्डल
6	श्री नत्थू राम	अति.मुख्य अभियंता, प्रथम
7	श्री मनोज गुप्ता	अति.मुख्य अभियंता, तृतीय
8	श्री नरेन्द्र बोहरा	अति.मुख्य अभियंता, द्वितीय
9	श्री अनिल माथुर	वरि. नगर नियोजक, राज. आवासन मण्डल
10	श्री प्रमोद कुमार वैष्णव	जन सम्पर्क अधिकारी(पी.आर.)

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
242.01	दिनांक 19.02.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 241वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 19.02.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 242वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
242.02	दिनांक 19.02.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 241वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	विचार–विमर्श उपरान्त दिनांक 19.02.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 242वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary
242.3	वर्तमान में महामारी के रुप में फेल रहे "कोरोना वायरस" से उत्पन्न संकट की स्थिति से उभरने में राजस्थान सरकार की सहायतार्थ **5 करोड रुपये** राज्य सरकार के	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA

	"RAJ CMRF COVID 19 MITIGATION FUND" में उपलब्ध कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। संचालक मण्डल के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं।		
242.4	श्री महेन्द्र सिंह भाटी को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.2016 के अनुसार मण्डल सेवा में लेने पर विचार करने बाबत्।	माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.2016 की अनुपालना में श्री महेन्द्र सिंह भाटी के संबंध में विचार किया गया । विचार–विमर्श के पश्चात् इस प्रकृति के अन्य प्रकरण के अनुरूप श्री भाटी के प्रकरण में कार्यवाही करते हुऐ सेवा में लेने का निर्णय लिया गया परन्तु इसे नवीन नियुक्ति माना जावेगा।	Secretary
242.5	श्री विक्टर खान, कनिष्ठ सहायक की पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कार्यालय में अनुपस्थित रहने अवधि का असाधारण अवकाश (बिना वेतन) स्वीकृत करने के संबंध में।	विचार–विमर्श उपरान्त श्री विक्टर खान, कनिष्ठ सहायक की पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कार्यालय में अनुपस्थित रहने की अवधि का असाधारण अवकाश (बिना वेतन) स्वीकृत करने का निर्णय इस शर्त के साथ किया गया कि उक्त स्वीकृत अवकाश की अवधि पेंशन में गणना योग्य नहीं होगी।	Secretary
242.6	मानसरोवर योजना जयपुर स्थित आर.एच.बी. आतिश मार्केट में नियोजित व्यवसायिक भूखण्डों की समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिये प्रकाशन की निर्धारित अवधि एक माह में शिथिलता प्रदान करने एवं खुली नीलामी हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्तियों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
242.7	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 140/C (3019.80 वर्ग मीटर) मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर की बिड स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
242.8	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नीलामी द्वारा विक्रित सम्पत्तियों के आवंटन के विरुद्ध मांग राशि जमा कराने की अवधि बढाने बाबत्।	विचार–विमर्श के पश्चात् प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नीलामी द्वारा विक्रित सम्पत्तियों के आवंटन के विरुद्ध मांग राशि जमा कराने की अवधि बढाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में पूर्व में राज्य सरकार को पत्र लिखा जा चुका है।	FA

242.9	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा संस्थागत भूमि आवंटन के प्रकरणों में मांग राशि जमा कराने की अवधि बढाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा संस्थागत भूमि आवंटन के प्रकरणों में मांग राशि जमा कराने की अवधि बढाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में राज्य सरकार को पूर्व में पत्र लिखा जा चुका है।	FA
242.10	राजस्थान आवासन मण्डल की सम्पत्तियों पर ली जाने वाली लीज राशि की दरें राज्य सरकार के आदेशों के अनुरुप लागू करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की सम्पत्तियों पर ली जाने वाली लीज राशि की दरें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(9)नविवि/आरएचबी/2020, दिनांक 28.5.2020 के अनुरुप लागू करने का निर्णय लिया गया।	FA
242.11	पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में नियमानुसार 1/3 अवधि की छूट प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में नियमानुसार 1/3 अवधि की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
242.12	मण्डल द्वारा ई–बिड सबमिशन व ई–ऑक्शन का कार्य ऑनलाईन करवाने के संबंध की स्वीकृति।	प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा ई–बिड सबमिशन व ई–ऑक्शन का कार्य ऑनलाईन करवाने के संबंध में प्रस्तावानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।	SA
242.13	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर–16 में प्रस्तावित कोचिंग हब के निर्माण से पूर्व परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता की फिजिबीलीटी रिपोर्ट का मालवीय राष्ट्रीय प्रौधोगिकी संस्थान द्वारा वेट कर अनुशंषा अनुसार कोचिंग हब के निर्माण एवं विकास कार्य की परियोजना की क्रियान्विति के अनुमोदन बाबत्।	विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् कोविड–19 के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये समय–समय पर समीक्षा करने के निर्देशों के साथ प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर–16 में प्रस्तावित कोचिंग हब के निर्माण से पूर्व परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता की फिजिबीलीटी रिपोर्ट का मालवीय राष्ट्रीय प्रौधोगिकी संस्थान द्वारा वेट कर अनुशंषा अनुसार कोचिंग हब के निर्माण एवं विकास कार्य की परियोजना की क्रियान्विति का अनुमोदन किया गया एवं कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गऐ।	CE-I
242.14	जयपुर शहर में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु आवासन मण्डल की महला आवासीय योजना, जयपुर के 1492 फ्लेट्स एवं नायला स्थित महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, जयपुर के 700 आवासों को क्वारंटाईन सेन्टर स्थापित करने हेतु कुल व्यय राशि रुपये 527.55 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I

242.15	मण्डल की बैठक दिनांक 17.01.2020 के बिन्दु संख्या 240.06 में लिये गये निर्णय को आगामी बैठक के कार्यवाही विवरण में अंकित किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार मण्डल की बैठक दिनांक 17.01.2020 के बिन्दु संख्या 240.06 में लिये गये निर्णय को 242वीं बैठक (10.06.20) के कार्यवाही विवरण में अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
242.16	राजस्थान आवासन मण्डल के अधिशेष आवास/फ्लेटों को आमजन के लिए किराया क्रय पद्धति व e-bid submission के माध्यम से निस्तारण करने के निर्णय की पुष्टि बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के अधिशेष आवास/फ्लेटों को आमजन के लिए किराया क्रय पद्धति व e-bid submission के माध्यम से निस्तारण करने के निर्णय की पुष्टि की गई। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय की स्वीकृति भी पूर्व से ही ली जा चुकी है।	CEM
242.17	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई–सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासों/फ्लेट्स को प्रस्ताव अनुसार 0–25 एवं 0–50 स्लेब में ई–सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति आवंटन/निस्तारण की स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई–सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासों/फ्लेट्स को प्रस्ताव अनुसार 0–25 एवं 0–50 स्लेब में ई–सबमिशन (E-submission) (बुधवार नीलामी उत्सव में) के माध्यम से किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी स्पष्ट किया गया कि ई–सबमिशन (E-submission) होने के कारण राज्य सरकार को अनुमति हेतु प्रकरण भेजने की आवश्यकता नहीं है।	CEM
242.18	मण्डल की बकाया वसूली करने एवं मण्डल की सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाये जाने के क्रम में प्रभावी कार्यवाही हेतु अधिकारियों को प्राधिकृत करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार मण्डल की बकाया वसूली करने एवं मण्डल की सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाये जाने के क्रम में प्रभावी कार्यवाही हेतु अधिकारियों को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।	DL
242.19	मण्डल की सम्पत्तियों पर अतिक्रमियों एवं अवैध रुप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखे जाने की दृष्टि से मण्डल में प्रवर्तन शाखा का गठन करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार मण्डल की सम्पत्तियों पर अतिक्रमियों एवं अवैध रुप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखे जाने की दृष्टि से मण्डल में प्रवर्तन शाखा के गठन करने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव में वर्णित पुलिस अधिकारीगण की प्रतिनियुक्ति के लिए पुलिस विभाग को लिखा जावे।	DL
242.20	आवंटित आवासों के पास रिक्त अतिरिक्त भू–पट्टी की आवंटन दर व शर्त के संबंध मे।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्न संशोधनों के साथ आवंटित आवासों	ACTP

		के पास रिक्त अतिरिक्त भू–पट्टी की आवंटन दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गयाः– 1.आवंटित आवास में आधिक्य (Surplus/excess/extra) भूमि होने पर आधिक्य भूमि की दर भी आवास की भूमि की दर के समान ही रहेगी। 2.अतिरिक्त भूपट्टी की आवंटन दर प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की डेढ़ गुणा होगी। 3.अतिरिक्त भू–पट्टी के संबंध में लीज़ राशि आवासीय आरक्षित दर पर 2.5 प्रतिशत की दर से वसूल की जावेगी। 4. अतिरिक्त भू–पट्टी के आवंटन पश्चात मूल भूखण्ड/मकान का जो भी क्षेत्रफल होगा, उस पर प्रचलित भवन निर्माण विनियमों के अनुसार निर्माण की अनुमति दी जावेगी। 5. उपरोक्तानुसार सभी पुराने (जिनमें अभी तक भुगतान नहीं हुआ है) तथा नये प्रकरणों के लिए ये शिथिलताऐं प्रथमतः दिनांक 31.12.2020 तक दी जावेगी। इस हेतु प्रचार–प्रसार कर कैम्प लगाकर प्रकरणों का निस्तारण किया जावे। मंडल के प्रचलित लागत सिद्धान्तों में उपरोक्तानुसार वांछित संशोधन किये जाने का भी निर्णय लिया गया।	
242.21	खुली नीलामी, ई–ऑक्शन, मोहरबन्द निविदा, बुधवार नीलामी एवं प्रीमियम सम्पत्तियों को खुली नीलामी के द्वारा निस्तारण हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित एक माह से कम अवधि के लिये प्रकाशित विज्ञप्ति के लिये शिथिलता प्रदान करने हेतु।	प्रस्तावानुसार खुली नीलामी, ई–ऑक्शन, मोहरबन्द निविदा, बुधवार नीलामी एवं प्रीमियम सम्पत्तियों को खुली नीलामी के द्वारा निस्तारण हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित एक माह से कम अवधि के लिये प्रकाशित विज्ञप्ति के लिये शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	CEM
242.22	राजस्थान आवासन मण्डल की कंचनजंगा अपार्टमेन्ट, इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर एवं रामाकृष्णापुरम आवासीय योजनाओं, कोठपुतली के आवास/फ्लेटों की छूट 0–25 से बढाकर 0–50 स्लेब में करने एवं ई–ऑक्शन के स्थान पर	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की कंचनजंगा अपार्टमेन्ट, इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर एवं रामाकृष्णापुरम आवासीय योजनाओं, कोठपुतली के आवास/फ्लेटों की छूट 0–25 से बढाकर 0–50 स्लेब में करने एवं ई–ऑक्शन के स्थान पर बुधवार नीलामी उत्सव से	CEM

	बुधवार नीलामी उत्सव से निस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	निस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
242.23	श्री नीलकमल गुप्ता पुत्र श्री भगवान दास गुप्ता नीलामी दिनांक 23.05. 2018 में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 267/607 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर की बकाया राशि के क्रम में।	प्रस्तावानुसार श्री नीलकमल गुप्ता पुत्र श्री भगवान दास गुप्ता से नीलामी दिनांक 23.05.2018 में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 267/607 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर की बकाया राशि नियमानुसार ब्याज राशि वसूलते हुए मांग राशि जमा कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
242.24	राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना में मैसर्स रामावतार गुप्ता आई हॉस्पिटल प्रा. लि. को आवंटित भूमि का कब्जा दिलवाने हेतु।	विचार–विमर्श पश्चात् राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना में मैसर्स रामावतार गुप्ता आई हॉस्पिटल प्रा.लि. को आवंटित भूमि के आवंटन को बहाल करते हुये आवंटित भूमि के स्थान पर अन्य समकक्ष भूमि समान मूल्य पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया तथा प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।	CEM
242.25	मण्डल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रिपेड मोबाईल पुनर्भरण की सुविधा देने के संबंध में।	विचार–विमर्श पश्चात् मण्डल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रिपेड मोबाईल पुनर्भरण की सुविधा देने का निर्णय लिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि जो अधिकारी/कार्मिक वर्तमान सुविधा पोस्टपेड रखना चाहते है, उनके लिये पोस्टपेड सुविधा भी यथावत रहेगी ।	Secretary
242.26	जोधपुर शहर में कोराना वायरस की रोकथाम हेतु आवासन मण्डल की कुडी भगतासनी योजना फेस द्वितीय पाली रोड के सेक्टर 12 व 14 में 1136 फ्लेट एवं विवेक विहार योजना में 148 फ्लेटों को क्वारंटाईन सेन्टर स्थापित करने हेतु कुल स्वीकृत राशि रुपये 64.35 लाख की राशि व्यय की स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार जोधपुर शहर में कोराना वायरस की रोकथाम हेतु आवासन मण्डल की कुडी भगतासनी योजना फेस द्वितीय पाली रोड के सेक्टर 12 व 14 में 1136 फ्लेट एवं विवेक विहार योजना में 148 फ्लेटों को क्वारंटाईन सेन्टर स्थापित करने हेतु कुल स्वीकृत राशि रुपये 64.35 लाख की राशि व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-II
242.27	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा स्वतंत्र आवासीय योजनाओं एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं के पंजीकरण प्रारम्भ करने एवं विकसित किये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा स्वतंत्र आवासीय योजनाओं एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं के पंजीकरण प्रारम्भ करने एवं विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया। इन योजनाओं की डिज़ाईनिंग एवं प्लानिंग इत्यादि आवश्यकतानुसार बाह्य स्त्रोतों से करवाये	ACTP

		जाने का निर्णय लिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि उक्त योजनाओं की पंजीकरण पुस्तिकाओं में यह अंकित किया जावे कि उन्हें मुख्यमंत्री जन आवास योजना का लाभ किस प्रकार देय होगा।	

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

242.28	प्रताप नगर योजना जयपुर में दिनांक 14.02.20 को प्रीमियम सम्पत्ति की खुली नीलामी में टोंक रोड़ स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सेक्टर–6, जोन 61 के शोरूम संख्या 61/सीएस–2,3,4,5 के नीलामी की बोली राशि 10 प्रतिशत अन्तर राशि की जमा कराने की समयावधि बढ़ाने एवं शोरूम संख्या 61/सीएस–1 एवं कियोस्क 61/सीएस/के–01 व 02की देर से जमा 10 प्रतिशत दर से जमा अन्तर राशि की समयावधि बढ़ाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार प्रताप नगर योजना जयपुर में दिनांक 14.02.20 को प्रीमियम सम्पत्ति की खुली नीलामी में टोंक रोड़ स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सेक्टर–6, जोन 61 के शोरूम संख्या 61/सीएस–2,3,4,5 के नीलामी की बोली राशि 10 प्रतिशत अन्तर राशि की जमा कराने की समयावधि बढ़ाने एवं शोरूम संख्या 61/सीएस–1 एवं कियोस्क 61/सीएस/के–01 व 02की देर से जमा 10 प्रतिशत दर से जमा अन्तर राशि की समयावधि प्रस्तावानुसार 30 जून तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं समय सीमा को देखते हुऐ प्रकरण राज्य सरकार को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अनुमोदन हेतु भेजने का निर्णय लिया गया।	CE-I
242.29	माननीय विधायकों को आवास हेतु बहुमंजिले फ्लेट्स निर्माण कराये जाने के संबंध में दिनांक 06.06.20 को माननीय विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता एवं माननीय मंत्री, नगरीय विकास की उपस्थिति में आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण संख्या एफ.2(22)ससु/विस/2019/ 13094–101, दिनांक 09.06.2020 के अनुरूप कार्यवाही करने बाबत।	माननीय विधायकों को आवास हेतु बहुमंजिले फ्लेट्स निर्माण कराये जाने के संबंध में दिनांक 06.06.20 को माननीय विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता एवं माननीय मंत्री, नगरीय विकास की उपस्थिति में आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण संख्या एफ.2(22) ससु/ विस/2019/ 13094–101, दिनांक 09.06.2020 के अनुसार कार्यवाही करने करने का निर्णय लिया गया।	CEM/ CE-I
242.30	मण्डल की मानसरोवर योजना के कामर्शियल बेल्ट "बी" के अन्तर्गत वी.टी. रोड़ पर प्रस्तावित सिटी पार्क विकसित करने बाबत।	इस संबंध में पूर्व में परियोजना समिति एवं वर्क्स कमेटी में लिऐ गऐ निर्णयों का अनुमोदन किया गया तथा एजेण्डा के प्रस्तावुनसार परियोजना की स्वीकृति देते हुऐ कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिऐ गऐ।	CE-I

कोविड–19 से उत्पन्न स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये यह भी निर्णय लिया गया कि सम्पत्तियों के विक्रय / आवंटन /नीलामी के संबंध में यदि उनकी पूर्ण अथवा आंशिक राशि के भुगतान की तिथि दिनांक 15.03.2020 अथवा उसके बाद की थी, तो ऐसे सभी प्रकरणों में उनके मांगपत्र में वांछित देय राशि जमा करने की अवधि (बिना ब्याज) दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ाई जावे। पूर्व में इसे 30.06.2020 तक बढ़ाया गया था।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संचिता बिश्नोई)
सचिव